कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)

ccf-kanker.cg@gov.in (07868) 222014 (07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./न.क्र.39/2019/152 कांकेर, दिनांक/10 / 1/2019

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी

नारायणपुर वनमंडल

विषय :– **Diversion of Forest land for Non-Forest under Forest Conservation Act 1980 Proposed for 16th B.N.(L.R.) C.A.F. Head QuarterEstablishing Area 12.899 ha. regarding Registration No. FP/CG/Other/34216/2018**

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग अटल नगर रायपुर/भू–प्रबंध/विविध/115–741/51 दिनांक 05.01.2019

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जो आपको सीधे लेख कर प्रस्ताव मूलतः वापस किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत के दिशा–निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क्र.39/3350 दिनांक 27.12.2018 को प्रेषित किया गया है। नोडल अधिकारी कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव में निम्नानुसार कमियॉ पाई गई है, जो निम्नानुसार है :–

1. कलेक्टर कार्यालय **FRA Certificate** द्वारा अपलोड नहीं किया गया है।
2. वनमंडलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन में वनमंडल अंतर्गत विदोहन होने वाले वृक्षों की संख्या 511 दर्शित है। परन्तु ऑनलाईन फार्म ए पार्ट–2 में वृक्षों की संख्या 506 प्रदर्शित है। ऑनलाईन सुधार की आवश्यक है।
3. प्रस्तावित क्षेत्र में किये जाने वाले कार्य का ले आऊट प्लान संलग्न नहीं है और न ही अपलोड किया गया है।
4. वैकल्पिक वृक्षारोपण फाईल पर क्षेत्र 25.798 हे. पी./2359 (O.A.) में घनत्व अधिक एवं छोटे से भाग में अतिक्रमण दर्शित हो रहा है। परीक्षण करते हुए वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता बतावें।
5. वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।
6. फार्म ए पार्ट–2 के कॉलम नं. 16 वनमंडलाधिकारी का **Recommendation Form-A, part-II** अपलोड नहीं किया गया है।
7. वनमंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित वैकल्पिक वृक्षारोपण के **Geo-referenced Map** एवं **Survey of India Toposheet** अपलोड नहीं किया गया है।
8. गैर वन भूमि उपलब्ध न होने संबंधी 3 विकल्पों का तुलनात्मक विवरण प्रस्ताव में संलग्न किया जावें।
9. भाग–**II** प्रपत्र–3 में हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम अंकित किया जावें।

अतः उपरोक्त कमियों की पूर्ति कराकर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

10/01/19

मुख्य वन संरक्षक

कांकेर वृत्त, कांकेर

D:\D.M. File 2017-18\DM File\Word File\Letter Long Metter 003.doc.docx

पृ.क्रमांक/मा.चि./न.क्र.39/2019/153 **कांकेर, दिनांक/** 10 **/ 1/2019**

प्रतिलिपि :— कार्यालय सेनानी, 16वी वाहिनी (भा./र.) छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया उपरोक्त बिन्दुओं में पाई गई कमियों की पूर्ति कर संशोधित प्रस्ताव वनमंडलाधिकारी नारायणपुर वनमंडल के माध्यम से इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

10/01/19

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर